संख्या-1/2018-29 ई/1-तेरह2018-

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव
उ0प्र 0शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग 1- लखनऊ::दिनॉक:जनवरी 08 ,2018

विषय:-प्रदेश की चीनी मिल, आसवनी, देशी एवं विदेशी मदिरा के थोक एवं फुटकर दुकानों/ अनुज्ञापनों आदि के निरीक्षण हेतु चेक प्वाइंट का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त् विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी विभाग प्रदेश का राजस्व अर्जित करने वाला प्रमुख विभाग है। मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण आबकारी प्रशासन की मौलिक नीति है। तद्नुसार उपर्युक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री का कार्य शीरा एवं अल्कोहल के उत्पादन एवं वितरण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भॉग की दुकानों का व्यवस्थापन एवं मादक पदार्थों की अवैध बिक्री/मद्यनिष्कर्षण की रोक-थाम के साथ-साथ चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

2. मादक वस्तुओं से संबंधित गतिविधियों को विनिश्चित एवं नियंत्रित करते हुए अधिकतम राजस्व प्राप्ति के लिए प्रदेश के संसाधनों में वृद्धि हेतु प्रभावी प्रवर्तन मार्गनिर्देशन में विभाग की प्रत्येक यूनिट के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट संलग्न है। **चीनी मिलों के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-1), आसवनी के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-2), देशी शराब के थोक अनुज्ञापन (सी0एल0-1सी) के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-3), बीयर के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0-2बी) के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-4), विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0-2) के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-5), विदेशी मदिरा के फुटकर दुकान (एफ0एल0-5) के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-6), देशी शराब की फुटकर दुकान (सी0एल0-5) के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-7), बीयर की फुटकर दुकान (एफ0एल0-5बी) के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-8), माडल शाप**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(एफ0एल0-4ए) के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-9) एवं भाँग की फुटकर दुकान (आई0डी0-14 बी) के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट (संलग्नक-10) संलग्न की जा रही है।

अत: जिला आबकारी अधिकारी की अध्यक्षता में टीम बनाकर चेक लिस्ट के आधार पर प्रत्येक यूनिट के निरीक्षण की कार्यवाही की जाय। इस कार्यक्षेत्र में आबकारी कर्मियों के अतिरिक्त अभियोजन, प्रवर्तन, एस0एस0एफ0 इकाईयों में तैनात एवं फार्मेसी प्रतिष्ठानों पर तैनात कार्मिकों का भी सहयोग लिया जा सकता है। कृपया तद्नुसार संलग्न चेक लिस्ट के आधार पर सभी स्तर के अधिकारी निर्धारित अवधि में निम्नवत मानक के अनुसार निरीक्षण करना सुनिश्चित करें तथा निरीक्षणोंपरान्त आयुक्तालय द्वारा **e-monitoring portal** पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

क्षेत्रीय अधिकारियों का निरीक्षण मानक्रम

(क) संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन

क्र० सं०	मद	मानक्रम	वार्षिक मानक्रम	प्रस्तावित मासिक विभाजन (न्यूनतम)
1	दौरे का दिन	120	120 दौरा	प्रत्येक माह में 10 दौरा
2	रात्रि प्रवास	6	6 रात्रि प्रवास	प्रत्येक त्रैमास में न्यूनतम 01 रात्रि प्रवास
3	उप आबकारी आयुक्त, कार्यालय का निरीक्षण	वर्ष में एक बार	1 प्रति प्रभार कार्यालय	प्रत्येक त्रैमास में एक प्रभार कार्यालय
4	जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय का निरीक्षण	वर्ष में एक बार	1 प्रति जिला कार्यालय	प्रत्येक माह में एक जिला कार्यालय
5	सी0एल0-1सी, एफ0एल0-2, 2बी	तीन माह में एक बार	4 प्रति अनुज्ञापन	प्रत्येक त्रैमास में एक बार सभी अनुज्ञापन
6	अन्य थोक अनुज्ञापन	वर्ष में एक बार	1 प्रति अनुज्ञापन	प्रत्येक अनुज्ञापन वर्ष में एक बार
7	देशी शराब की फुटकर दुकानें	माह में 10 दुकानें	120 दुकानें	प्रत्येक माह में 10 दुकानें

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8	विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें	माह में 5 दुकानें	60 दुकानें	प्रत्येक माह में 05 दुकानें
9	बियर की फुटकर दुकानें	माह में 5 दुकानें	60 दुकानें	प्रत्येक माह में 05 दुकानें
10	चीनी मिलें	सभी चीनी मिलों का वर्ष में एक बार (पेराई सत्र में अवश्य करें)	1 चीनी मिल	नवम्बर से फरवरी न्यूनतम एक चीनी मिल प्रतिमाह
11	अन्य अनुज्ञापन	वर्ष में एक बार	1 अनुज्ञापन	वर्ष में कभी भी सुविधानुसार
12	एफ0एल0-16/17, एफ0एल0-39,40,41	आवश्यकतानुसार आकस्मिक निरीक्षण	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकतानुसार किसी भी माह में
13	आसवनी	वर्ष में दो बार प्रत्येक आसवनी	2 आसवनी	अप्रैल से अक्टूबर-01 बार, नवम्बर से मार्च -01 बार
14	फार्मेसी	वर्ष में एक बार प्रत्येक फार्मेसी	1 फार्मेसी	किसी भी माह 01 बार

उप (ख) आबकारी आयुक्त, प्रभार

क्र० सं०	**मद**	**मानक्रम**	**वार्षिक मानक्रम**	**प्रस्तावित मासिक विभाजन (न्यूनतम)**
1	दौरे का दिन	108	108 दौरा	प्रत्येक माह में 09 दौरा
2	रात्रि प्रवास	4	4 रात्रि प्रवास	प्रत्येक त्रैमास में न्यूनतम एक रात्रि प्रवास
3	अपराध निरोधक क्षेत्र	6 माह में एक बार	2 बार प्रत्येक निरोधक क्षेत्र	जून से नवम्बर प्रत्येक माह में न्यूनतम दो निरोधक क्षेत्र
4	थोक अनुज्ञापन जो मण्डल मुख्यालय पर स्थित है	2 माह में एक बार	6 बार प्रत्येक अनुज्ञापन	प्रत्येक दो माह में न्यूनतम एक अनुज्ञापन
5	थोक अनुज्ञापन जो प्रभार के जनपदों	6 माह में एक बार	2 बार प्रत्येक अनुज्ञापन	मई व फरवरी में प्रत्येक माह न्यूनतम 01

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(मण्डल मुख्यालय से इतर) के मुख्यालय स्तर पर स्थित है।			अनुज्ञापन
6	प्रभार के शेष थोक अनुज्ञापन जो जनपदों के मुख्यालय से भिन्न स्थानों पर स्थित हैं	वर्ष में एक बार	1 बार प्रत्येक अनुज्ञापन	मई, जून व नवम्बर में प्रत्येक माह न्यूनतम 01 अनुज्ञापन
7	पेट्रोल डिपो	वर्ष में एक बार	1 पेट्रोल डिपो	सितम्बर में न्यूनतम एक बार
8	प्रभार में स्थित औषधीय निर्माणशालाएँ (फार्मेसी)	वर्ष में दो बार	2 बार प्रत्येक फार्मेसी	अप्रैल से अक्टूबर-01 बार, नवम्बर से मार्च-01 बार
9	अन्य अनुज्ञापन	वर्ष में एक बार	1 अनुज्ञापन	वर्ष में कभी भी सुविधानुसार
10	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी			
	(क) प्रभार के मुख्यालय के जनपद	06 माह में एक बार	2 बार प्रत्येक जिला कार्यालय	मई व जनवरी
	(ख) प्रभार के अन्य जनपद	वर्ष में एक बार	1 बार प्रत्येक जिला कार्यालय	जून, नवम्बर, फरवरी माह में न्यूनतम एक
11	आबकारी दुकानें (मॉडल शाप को सम्मिलित करते हुए)			
	(क) प्रभार के समस्त जनपदों के नगरीय क्षेत्र में स्थित दुकानें	10 देशी शराब, 05 विदेशी मदिरा, 05 बियर, 02 भांग	120 देशी शराब, 60 विदेशी मदिरा, 60 बियर 24 भांग	10 देशी प्रति माह 05 विदेशी प्रति माह 05 बियर प्रति माह 02 भांग प्रति माह
	(ख) देहात क्षेत्र में स्थित दुकानें	10 देशी शराब, 05 विदेशी मदिरा, 05 बियर, 02 भांग	120 देशी शराब, 60 विदेशी मदिरा, 60 बियर 24 भांग	10 देशी प्रति माह 05 विदेशी प्रति माह 05 बियर प्रति माह 02 भांग प्रति माह
12	चीनी मिलों में नियुक्त उप आबकारी निरीक्षक/चीनी मिलें	वर्ष में तीन बार (पेराई सत्र में एक बार)	3 बार प्रत्येक चीनी मिल	समस्त चीनी मिलों का निरीक्षण अप्रैल से सितम्बर तक एक बार। अक्टूबर से दिसम्बर तक एक बार तथा जनवरी से मार्च तक एक बार।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13	एफ0एल0-16/17, एफ0एल0-39,40,41	आवश्यकतानुसार आकस्मिक निरीक्षण करें।	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार किसी भी माह में।
14	आसवनी	वर्ष में तीन बार	3 बार प्रत्येक आसवनी	अप्रैल से सितम्बर-01 बार, अक्टूबर से दिस0-01 बार, जनवरी से मार्च -01 बार
15	फार्मेसी	वर्ष में दो बार	2 बार प्रत्येक फार्मेसी	अप्रैल से अक्टूबर-01 बार नवम्बर से मार्च-01 बार

जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त (ग)

क्र० सं०	**मद**	**मानक्रम**	**वार्षिक मानक्रम**	**प्रस्तावित मासिक विभाजन (न्यूनतम)**
1	दौरे का दिन	84 दिन वर्ष में	84 दौरा	07 दौरा प्रति माह
2	रात्रि प्रवास	6 रात्रि प्रवास प्रति माह	72 रात्रि प्रवास	6 रात्रि प्रवास प्रति माह
3	अपराध निरोधक क्षेत्र के कार्य	4 माह में एक बार	3 बार प्रत्येक निरोधक क्षेत्र	जून, जूलाई में न्यूनतम एक तथा अगस्त से दिसम्बर तक एक, शेष निरीक्षण मानक्रम के अनुसार
4	आसवनियों में जिनमें सहायक आबकारी आयुक्त नियुक्त नहीं हैं।	4 माह में एक बार	3 निरीक्षण प्रति आसवनी	अप्रैल, जून, दिसम्बर
5	देशी/विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन			
	(क) जनपद के मुख्यालय पर स्थित	3 माह में एक बार	04 बार प्रति अनुज्ञापन	अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी प्रत्येक अनुज्ञापन
	(ख) जनपद मुख्यालय के बाहर	3 माह में एक बार	04 बार प्रति अनुज्ञापन	अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी प्रत्येक अनुज्ञापन

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	स्थित			
6	अबंधित औषधीय निर्माणशालायें			
	(क) जनपद मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में स्थित	6 माह में एक बार	02 बार प्रति अनुज्ञापन	मई, नवम्बर में प्रत्येक अनुज्ञापन
	(ख) जनपद मुख्यालय से बाहर अन्य क्षेत्रों में स्थित	6 माह में एक बार	02 बार प्रति अनुज्ञापन	मई, नवम्बर में प्रत्येक अनुज्ञापन
7	बी0डब्लू0एफ0एल 0-2/2ए/2बी/2सी/2डी	6 माह में एक बार	02 बार प्रति अनुज्ञापन	अप्रैल, नवम्बर में प्रत्येक अनुज्ञापन
8	एफ0एल0-6(सम्मिश्र),7,7सी	4 माह में एक बार	03 बार प्रति अनुज्ञापन	अप्रैल, जुलाई, नवम्बर में प्रत्येक अनुज्ञापन
9	एफ0एल0-9, 9ए	वर्ष में एक बार	01 बार प्रति अनुज्ञापन	अगस्त
10	जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय	03 माह में एक बार	04 बार प्रत्येक जिला कार्यालय	मई, अगस्त, नवम्बर एवं फरवरी
11	आबकारी दुकानें देशी, विदेशी मदिरा/बीयर/ताड़ी तथा भांग की दुकानें एवं माडल शाप			
	(क) जनपद मुख्यालय के नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र में स्थित दुकानें	माह में 20 देशी, 10 विदेशी मदिरा, 10 बियर एवं 05 भांग	240 देशी 120 विदेशी 120 बियर 60 भांग	प्रत्येक माह 20 देशी व 10 विदेशी मदिरा, 10 बियर, एवं 05 भांग दुकानें
	(ख) जनपद मुख्यालय के नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र से भिन्न नगर पंचायत/ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित दुकानें	माह में 20 देशी, 10 विदेशी मदिरा, 10 बियर एवं 05 भांग	240 देशी 120 विदेशी 120 बियर 60 भांग	प्रत्येक माह 20 देशी व 10 विदेशी मदिरा, 10 बियर, एवं 05 भांग दुकानें
	(ग) शीरे पर आधारित औद्योगिक इकाई	वर्ष में 04 बार	04 बार प्रति इकाई	मई, अगस्त, नवम्बर, फरवरी में प्रत्येक इकाई
12	(क) चीनी मलों में नियुक्त उप आबकारी निरीक्षक/चीनी मिलें (जिन जनपदों में चीनी मिल स्थापित है)	वर्ष में 3 बार (पेराई सत्र में एक बार)	3 बार प्रत्येक चीनी मिल	समस्त चीनी मलों का निरीक्षण अप्रैल से सितम्बर तक एक बार। अक्टूबर से दिसम्बर तक एक बार तथा जनवरी से मार्च तक एक बार।
	(ख) अन्य विविध अनुज्ञापन	वर्ष में कम से कम 03 बार	3 बार प्रत्येक अनुज्ञापन	अप्रैल से जून तक 01 बार अगस्त से अक्टूबर तक 01 बार,

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				नवम्बर से फरवरी तक 01 बार

(घ) सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन)

क्र०सं०	मद	मानक्रम	वार्षिक मानक्रम	प्रस्तावित मासिक विभाजन (न्यूनतम)
1	मुख्यालय जनपद में स्थित देशी/विदेशी मदिरा, भांग एवं अन्य दुकानें	संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी 0 के निर्देश पर	-	संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0 के निर्देश पर
2	थोक अनुज्ञापन	06 माह में 02 बार	04 बार प्रत्येक अनुज्ञापन	मई, अगस्त, दिसम्बर, फरवरी
3	आसवनी	06 माह में 02 बार	04 बार प्रत्येक आसवनी	मई, अगस्त, दिसम्बर, फरवरी
4	औद्योगिक इकाई	06 माह में 02 बार	04 बार प्रत्येक इकाई	मई, अगस्त, दिसम्बर, फरवरी
5	अबंधित निर्माण शालाएं	06 माह में 02 बार	04 प्रति इकाई	मई, अगस्त, दिसम्बर, फरवरी में प्रत्येक
6	चीनी मिलें	06 माह में 02 बार	04 बार प्रत्येक चीनी मिल	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या–1/2018-29 (1) ई-1/तेरह-2018/तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन।**
4. **समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार।**
5. **समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
6. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(कृपा शंकर शुक्ल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चीनी मिल के निरीक्षण की चेक लिस्ट

1 चीनी मिल का नाम..... .....

2. निरीक्षण के समय उपस्थित उप/आबकारी निरीक्षक का नाम.....

3. निरीक्षण के समय उपस्थित मिल प्रतिनिधि का नाम व पद.....

4. पेराई सत्र प्रारम्भ होने की तिथि.....

5. पेराई सत्र समाप्त होने की तिथि.....

6. सत्र में निरीक्षण तिथि तक पेरे गये गन्ने की मात्रा (कु0में).....

   उत्पादित चीनी की मात्रा..... (कु0में)

   चीनी की रिकवरी.....प्रतिशत में।

   उत्पादित शीरे की मात्रा.....कु0में0

   शीरे की रिकवरी प्रतिशत में.....

   उत्पादित शीरे की ब्रिक्स/ग्रेड.....

7. रोटोमीटर की रीडिंग

8. रोटोमीटर रीडिंग के अनुसार आकलित उत्पादन.....

9. अभिलेखानुसार उत्पादन, और आकलित उत्पादन में अन्तर.....

10. मिल की पंजीकृत पेराई क्षमता(टी0सी0डी0 में).....

11. विगत चार शीरा वर्षों में शीरे का उत्पादन (कुन्तल में)

शीरा वर्ष	उत्पादन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12. मिल की आकलित संचय क्षमता कुं0 में.....

13. मिल में पायी गयी वास्तविक संचय क्षमता कु0 में.....

शीरा संचय क्षमता में कमी होने पर विगत तीन वर्षों में चीनी मिल के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण-

14. (अ) शीरा सम्भरण का सत्यापनः-

क्र0सं0	आसवनी/इकाई का नाम	आवंटनादेश संख्या/ दिनांक	आवंटित मात्रा (कुन्टल में)	सम्भरित मात्रा (कुन्टल में)	सम्भरण हेतु अवशेष मात्रा (कुन्टल में)

(ब) शीरे के सम्भरण में आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे की मात्राः-

क्र0सं0	आरक्षित शीरे की सम्भरण की मात्रा (कुन्टल में)	अनारक्षित शीरे की सम्भरण की मात्रा (कुन्टल में)	कुल सम्भरित शीरे की मात्रा (कुन्टल में)	शीरा नीति के अनुसार सम्भरण में अनुपात का अनुपालन किया गया है या नहीं	अभ्युक्ति

15. संचित शीरे का भौतिक सत्यापन-

क्र0सं0	टैंक संख्या	संचय क्षमता	डिप	ब्रिक्स	स्पेसिफिक ग्रेविटी	शीरे का आयतन	शीरे की मात्रा (कुन्टल में)	लेखानुसार संचित मात्रा (कुन्टल में)	अन्तर कुन्टल में
1									

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2									
3									
योग									

अन्तर का कारण.....

कच्चा/ पक्का पिट आच्छादित किये बिना शीरे का संचय किये जाने का विवरण (यदि हो)-.....

16 शीरे के उत्पादन, बिक्री संबंधित एम0एफ0 5 पार्ट-1 एवं पार्ट-2 के रख-रखाव की स्थिति

i सभी कालम अद्यतन पूर्ण/अपूर्ण.....

17 शीरे का संचय परीक्षणः-

.

i मिल का प्रारम्भिक स्टाक (कुं0 में).....

ii निरीक्षण तिथि तक उत्पादन (कुं0 में).....

iii योग (कुं0 में).....

iv निरीक्षण तिथि तक सम्भरण, (कुं0 में).....

v लेखानुसार अवशेष स्टाक (कुं0 में).....

vi वास्तविक स्टाक (कुं0 में).....

vii व्यतिक्रम/अन्तर (कुं0 में).....

व्यतिक्रम का कारण.....

18 **<u>प्रशासनिक शुल्क-</u>**

.

i निरीक्षण तिथि को प्रशासनिक शुल्क अग्रिम खाते का अवशेष (रू0में).....

ii निरीक्षण तिथि तक देय कुल प्रशासनिक शुल्क (रू0में).....

iii निरीक्षण तिथि तक जमा कुल प्रशासनिक शुल्क (रू0में).....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

iv जमा प्रशासनिक शुल्क के चालान जी0-6 पंजिका से सत्यापित हैं या नहीं(रू0में).....

19 **शीरा निधिः-**

.

i निरीक्षण तिथि को शीरा निधि अग्रिम खाते का अवशेष (रू0में).....

ii निरीक्षण तिथि तक देय कुल शीरा निधि (रू0में).....

iii निरीक्षण तिथि तक शीरा वर्ष में जमा कुल शीरा निधि शुल्क (रू0में).....

iv निरीक्षण तिथि तक शीरा निधि खाते में जमा कुल धनराशि का अवशेष (रू0में).....

v एफ0डी0आर0 के रूप में शीरा निधि में जमा धनराशि की स्थिति.....

20 **एम0एफ0-4 गेट पासः-**

.

i निरीक्षण तिथि तक जारी किये गये कुल एम0एफ0-4 गेटपासों की संख्या.....

ii निरीक्षण तिथि तक सत्यापनोपरान्त प्राप्त एम0एफ0-4 गेटपासों की संख्या.....

iii निरीक्षण तिथि तक सत्यापन हेतु लम्बित गेटपासों की संख्या.....

iv निरीक्षण तिथि तक तक जारी किये अन्तिम गेट पास का क्रमांक.....

v निर्धारित समयान्तर्गत सत्यापित होकर प्राप्त न होने वाले गेटपासों की संख्या.....

21 **अन्य/विविधः-**

.

i रोटोमीटर को नियमानुसार उप/आबकारी निरीक्षक द्वारा सील किया गया है या नहीं.....

ii मिल में डिप राड/ सैम्पलर अनुरक्षित हैं या नहीं.....

iii मिल में गेजचार्ट विभाग द्वारा अनुमोदित हैं या नहीं.....

iv मिल के तौल कांटे/वे ब्रिज का सत्यापन.....

v मिल में आरक्षित तथा अनारक्षित शीरे का सम्भरण निर्धारित अनुपात के अनुसार है या नहीं.....

vi मिल में अभिलेखों के रख-रखाव की स्थिति.....

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

vii शीरे की निकासी पासबुक में प्रविष्टियों की स्थिति.....

viii एम0एफ0-4 गेट पास के सभी कालम पूर्ण किये जाने की स्थिति.....

(a) रुट दर्शाया जा रहा है या नहीं.....

(b) वैधता अवधि के दिनांक या समय का अंकन किया जा रहा है या नहीं.....

ix चीनी मिल में संचित बिलोग्रेड शीरे की मात्रा (कुन्तल में).....

22 पायी गयी कमी का संक्षिप्त विवरण-

.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-29 ई-1/तेरह-2018, दिनॉक 08 जनवरी, 2018 का (संलग्नक-2)

आसवनी के निरीक्षण की चेक लिस्ट

1. आसवनी का नाम व पता-

आसवक का नाम व पता-

ई-मेल आई0डी0-

दूरभाष नम्बर-

2. (a)आसवनी में नियुक्त आबकारी स्टाफ का विवरण-

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	आसवनी में नियुक्ति की तिथि	वर्तमान में आवंटित अनुभाग	मोबाइल नम्बर

(b)स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्तिका विवरण-

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	आसवनी में नियुक्तव्यक्तियों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	सहायक आबकारी आयुक्त				
2	आबकारी निरीक्षक				
3	कनिष्ठ सहायक				
4	आबकारी सिपाही				

3. आसवनी में स्वीकृत अनुज्ञापनों की संख्या तथा उनके नवीनीकरण की स्थिति-

क्र0सं0	अनुज्ञापन का नाम	अनुज्ञापन कब तक नवीनीकृत है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. क्या आसवनी किसी चीनी मिल की कैप्टिव इकाई है?
5. क्या आसवनी के समस्त स्थायी कर्मचारियों का अनुमोदन उप आबकारी आयुक्त प्रभार से कराया गया है? अनुमोदन आदेश की संख्या एवं दिनांक का विवरण।
6. क्या आसवनी में ऑकड़ों का संग्रह एवं अनुश्रवण करने हेतु कम्प्यूटर एवं नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है?
7. आसवनी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों (श्रमिकों) को किसकी अनुमति से आसवनी में प्रवेश दिया जा रहा है।
8. आसवनी में टिकट लॉक के प्रयोग की स्थिति।
9. आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता/मात्रा का विवरण तथा उसके अनुसार शीरा की आवंटित/स्वीकृत वार्षिक मात्रा। शीरा की कितनी पासबुक आसवनी को निर्गत की गयी है।
10. ऑनलाइन प्रणाली से शीरा आवंटन के अनुसार शीरा उठान की स्थिति-

क्र0सं0	चीनी मिल का नाम	आवंटित शीरे की मात्रा	उठायी गयी शीरे की मात्रा

11. ऑफलाइन प्रणाली से शीरा आवंटन के अनुसार शीरा उठान की स्थिति-

क्र0सं0	चीनी मिल का नाम	आवंटित शीरे की मात्रा	उठायी गयी शीरे की मात्रा

12. आसवनी में शीरे के रख-रखाव की स्थिति/शीरे के स्टाक का सत्यापन-

क्र.सं.	शीरा टैंक/पिट की संख्या	शीरा टैंक/पिट की संचय क्षमता	डिप	ब्रिक्स	ब्रिक्स गुणांक	शीरे का आयतन	शीरा की वास्तविक मात्रा कु0 में	लेकानुसार शीरा की मात्रा कु0 में	अ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	योग-								

उपरोक्त में डिकेन्टिंग/अनलोडिंग पिट की मात्रा का विवरण भी भरें।

13. शीरा के गेट रजिस्टर की स्थिति। क्या शीरा तौलने के उपरान्त शीरा की अनलोडिंग की जा रही है?
14. विगत 03 वर्षों में 1.0 प्रतिशत से अधिक मार्गनयन छीजन के कितने प्रकरण प्रकाश में आये तथा उन पर कृत कार्यवाही का विवरण।
15. विगत 03 वर्षों में शीरा भण्डारण छीजन (wastage) का प्रतिशत क्या रहा?
16. शीरा से सम्बन्धित अन्य बिन्दु-
    I. गर्मी में शीरा टंकियों को ठण्डा करने की क्या व्यवस्था है?
    II. क्या शीरा टंकियों पर फ्लोट इण्डीकेटर लगा है?
    III. चीनी मिल से पाइप लाइन द्वारा शीरा लेने के लिये क्या आटोमेटिक तौल मशीन क्रियाशील है?
    IV. क्या आटोमेटिक तौल मशीन का काउंटर सील किया गया है?
    V. क्या आटोमेटिक तौल मशीन में कोई बाईपास लाइन तो नहीं लगी है, जिससे बिना तौल के चीनी मिल से शीरा लिया जा सके?
17. क्या उत्पादन की तकनीक 'बैच फरमेण्टेशन उत्पादन-संयंत्र' है अथवा 'अनवरत फरमेण्टेशन उत्पादन-संयंत्र' है।
18. विगत 3 वर्षों का उत्पादन विवरण-

क्र0सं0	वर्ष	उत्पादित स्प्रिट का प्रकार	प्रयुक्त शीरा की मात्रा कुन्टल में	उत्पादित स्प्रिट की मात्रा ए0एल0 में	प्रतिकुन्टल रिकवरी प्रतिशत	शीरा में फरमेण्टेबुल शुगर की मात्रा	प्रतिकुन्टल फरमेण्टेबुल शुगर रिकवरी प्रतिशत

19. विगत 03 वित्तीय वर्षों में पेय तथा औद्योगिक (अपेय) क्षमता के अन्तर्गत उत्पादन का विवरण (ए0एल0 में)-

क्र0सं0	वर्ष	पेय	पेय	औद्योगिक	औद्योगिक	कुल	कुल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		क्षमता	क्षमता के अन्तर्गत उत्पादन	क्षमता	क्षमता के अंतर्गत उत्पादन	क्षमता	उत्पादन

20. विगत 03 वर्षों में लो रिकवरी के कितने प्रकरण प्रकाश में आये तथा उन पर कृत कार्यवाही का विवरण।

21. क्या उत्पादन से रिसीवर में जाने वाली अल्कोहल की पाइप लाइनें सील्ड पायी गयीं? स्प्रिट भण्डार का सत्यापन (रिसीवर कक्ष एवं भण्डारण कक्ष)-

क्र0सं0	वैट संख्या	डिप	तीव्रता	मात्रा बी0एल0 में	वास्तविक मात्र ए0एल0 में	डिप बुक के अनुसार मात्रा (ए0एल0 में)	अन्तर

अलग-अलग प्रकार की स्प्रिट का सत्यापन अलग-अलग तालिका बनाकर किया जाय तथा छीजन का प्रतिशत अंकित किया जाय।

22. स्प्रिट के उपयोग का विवरण-वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से कुल उत्पादित स्प्रिट का उपयोग आसवनी में किसप्रकार किया गया। विवरण ए0एल0 में तैयार करें।

23. आसवनी में विगत 03 वर्षों में आसव (स्प्रिट) से निर्मित उत्पादों का विवरण-

क्र0सं0	उत्पाद का प्रकार	त्यौरे वर्ष	विगत वर्ष	चलित वर्ष
1	ई0एन0ए0			
2	देशी मदिरा(ई0एन0ए0 से)			
3	विदेशी मदिरा			
4	साधारण विकृत स्प्रिट			
5	विशेष विकृत स्प्रिट			
6	एथेनॉल (पॉवर अल्कोहल)			
7	बियर			
8	माल्ट			
9	अन्य प्रकार की स्प्रिट			

24. क्या अधिष्ठापित श्रमता से अधिक उत्पादन किया गया?

25. आसवनी से प्राप्त राजस्व की गतवर्ष के सापेक्ष तुलनात्मक स्थिति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

26. क्या निर्धारित ओवर-टाइम शुल्क जमा किया जा रहा है?

27. (क) क्या बाटलिंग की जा रही मदिरा के समस्त ब्राण्डों का लेबुल अनुमोदन कराया गया है? देशी/विदेशी मदिरा दोनों का परीक्षण करें।
(ख) क्या प्रेदश में बिक्री हेतु समस्त ब्राण्डों का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन कराया गया है।

28. (क) बाटलिंग के लिए कुल कितनी बाटलिंग लाइनें स्थापित है तथा किस बाटलिंग लाइन का प्रयोग किस प्रकार की मदिरा की बाटलिंग के लिये किया जा रहा है।
(ख) क्या देशी मदिरा, विदेशी मदिरा सिविल तथा विदेशी मदिरा सी0एस0डी0 की बाटलिंग लाइनों को पृथक किया गया है।

29. विगत एक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष का बाटलिंग छीजन का माहवार विवरण। क्या अनुमन्य सीमा 01 प्रतिशत से अधिक बाटलिंग छीजन हुआ है। अतिशय बाटलिंग छीजन पर कार्यवाही का विवरण।

30.मदिरा के बाटल्ड स्टाक का सत्यापन।

31. होलोग्राम के सुरक्षित रख-रखाव की स्थिति एवं होलोग्राम के स्टाक का सत्यापन।

32. मदिरा की निकासी पर प्रतिफल शुल्क की वसूली का परीक्षण तथा होलोग्राम पंजिका से मिलान।

33. क्या मदिरा निकासी के एस0एम0एस0 सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी को भेजे जा रहे हैं।

34. क्या मदिरा निकासी के पासों में बैच नम्बर व होलोग्राम स्पूल नम्बर अंकित किया जा रहा है।

35. निकासी पासों के गन्तव्य स्थल से सत्यापन की स्थिति। 90 दिवस से अधिक के कितने पास सत्यापन के लिए लम्बित हैं।

36. मदिरा के अण्डरबाण्ड निकासी में पासों का सत्यापन 90 दिवस में न होने पर क्या देय प्रतिफल शुल्क के समतुल्य पेनाल्टी की वसूली अग्रिम खाते से की जा रही है।

37. विकारक के स्टाक का सत्यापन करें तथा विवरण अंकित करें।

38. स्प्रिट निकासी के टैंकरों की सील किये जाने की स्थिति। इनलेट/आऊटलेट किस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रकार सील किया जाता है।

39. क्या टैंकरों में जी0पी0एस0 सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है? आसवनी में पीडी, एम0एफ0तथा एफ0एल0 सीरीज की पंजिकाओं का निरीक्षण तथा रख-रखाव की स्थिति।

40. आसवनी के गेट पर सीसीटीवी के कैमरे के क्रियाशील होने का निरीक्षण/सीसीटीवी का मानीटर किस अधिकारी/कर्मचारी/प्रबन्धक के कक्ष में लगा है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-29 ई-1/तेरह-2018, दिनाँक 08 जनवरी, 2018 का (संलग्नक-3)

देशी शराब के थोक अनुज्ञापन (सी0एल0-1सी) के निरीक्षण की चेकलिस्ट

जनपद का नाम-

अनुज्ञापी का नाम व पता-

अनुज्ञापी का पैन नम्बर-

1. निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये गतनिरीक्षण का विवरण-

   (a) अधिकारी का नाम/पदनाम-

   (b) निरीक्षण की तिथि व समय-

2. अनुज्ञापन का निरीक्षण-

   (a) वैध अनुज्ञापन प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

   (b) अनुज्ञापन के जारी होने की तिथि

3. विक्रेता अनुमोदित है या नहीं-

   (a)विक्रेता का नाम, पता अनुज्ञापन पर अंकित होने की स्थिति।

4. अनुज्ञापन की चौहद्दी अनुमोदित है या नहीं-

   (a)परिसर की चौहद्दी अनुज्ञापन पर अंकित होना।

   (b) निरीक्षण के समय पायी गयी चौहद्दी का निरीक्षण टीप में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना।

   (c)अनुज्ञापनपक्के भवन में संचालित है अथवा नहीं?

   (d)यदि अनुज्ञापनपक्के भवन में नहीं है तो कहां पर चल रहा है?

5. अभिलेखों का सत्यापन-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(a)प्राप्ति रजिस्टर

(b) इण्डेण्ट रजिस्टर। कितने इण्डेण्ट 48 घण्टे व्यतीत होने के पश्चात भी पेंडिग हैं? दुकानवार इण्डेण्ट प्रस्तुत करने एवं इण्डेण्ट प्राप्ति के समय का विवरण रखा जा रहा है अथवा नहीं?

(c)दैनिक बिक्री का रजिस्टर

(d)तीव्रतावार रजिस्टर

(e)स्टाक रजिस्टर

i स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

ii स्टाक रजिस्टर के भाग-1 में निरीक्षण की तिथि व समय तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम व पदनाम का उल्लेख अवश्य किया जाय।

iii स्टाक रजिस्टरके भाग-2 में अंकित प्रविष्टियों का निकासी का परिवहन पास से मिलान किया जाये।

iv स्टाक रजिस्टर के भाग-3 की प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

v स्टाक रजिस्टर के भाग-4 की प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

6. स्टाक का सत्यापन-

		धारिताएवं तीव्रतावार							
		42.8%v/v		**36%v/v**		**28%v/v**		**25%v**	
		200ml	**180ml**	**200ml**	**180ml**	**200ml**	**180ml**	**200ml**	
	01 अप्रैल को प्रारम्भिक अवशेष								
	01 अप्रैल से निरीक्षण तिथि तक प्राप्ति								
	योग-								

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	01 अप्रैल से निरीक्षण तिथि तक बिक्री								
	लेखानुसार अवशेष स्टाक								
	वास्तविक अवशेष स्टाक								
	व्यतिक्रम-								

व्यतिक्रम/अन्तर के सम्बन्ध में टिप्पणी

7. निकासी का परिवहन पास-

(a) परिवहन पास पर निकासी की तिथि व समय के अंकन की स्थिति

(b) निकासी के रूट के अंकन की स्थिति

(c) निकासी ले जाने के लिए फुटकर अनुज्ञापी को प्रदान किये गये वैधता का समय।

(d) परिवहन पास पर अंकित वाहन का प्रकार व रजिस्ट्रेशन नम्बर के उल्लेख की स्थिति।

(e) परिवहन पास पर होलोग्राम क्रमांक की रेंज के अंकन की स्थिति

8. इस माह कितना नकद भुगतान प्राप्त हआ है? क्या डिजिटल भुगतान की सुविधा है?

9. थोक अनुज्ञापन पर कम्प्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं?

10. आसवनी से निर्गत पीडी 25 पास पर अंकित होलोग्राम का बोतलों पर चस्पा होलोग्राम से मिलान किया जाना।

11. सीएल-1सी से निर्गत किये जाने वाले परिवहन पासों के रख-रखाव की स्थिति।

12. सीएल-1सी थोक अनुज्ञापन पर देशी शराब के स्टाक की उपलब्धता की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्थिति।

13. अनुज्ञापन परिसर के बाहर नियमानुसार साइनबोर्ड लगा होने की स्थिति।
14. निकासी पासबुक में होलोग्राम नम्बरों की प्रविष्टि किये जाने की स्थिति।
15. पीडी-25 पासों के सत्यापन की स्थिति।
16. अनुज्ञापन परिसर में साफ-सफाई की स्थिति।
17. निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बियर के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0-2बी) के निरीक्षण की चेकलिस्ट

दुकान का नाम- जनपद का नाम-

अनुज्ञापी का नाम व पता-

अनुज्ञापी का पैन नंबर-

1. निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये गतनिरीक्षण का विवरण-

   (a)अधिकारी का नाम/पदनाम-

   (b)निरीक्षण की तिथि व समय-

2. अनुज्ञापन का निरीक्षण-

   (a)वैध अनुज्ञापन प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

   (b) अनुज्ञापन के जारी होने की तिथि

3. विक्रेता अनुमोदित है या नहीं-

   (a)विक्रेता का नाम, पता व फोटो अनुज्ञापन पर अंकित होने की स्थिति।

4. अनुज्ञापन की चौहद्दी अनुमोदित है या नहीं-

   (a)परिसर की चौहद्दी अनुज्ञापन पर अंकित होना।

   (b) निरीक्षण के समय पायी गयी चौहद्दी का निरीक्षण टीप में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना।

   (c)अनुज्ञापन पक्के भवन में संचालित है अथवा नहीं?

   (d)यदि अनुज्ञापन पक्के भवन में हीं है तो कहां पर चल रही है?

5. अभिलेखों का सत्यापन-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(a)प्राप्ति रजिस्टर

(b)इण्डेण्ट रजिस्टर

(c)दैनिक बिक्री का रजिस्टर

(d)ब्राण्डवार रजिस्टर

(e)स्टाक रजिस्टर

i स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

ii स्टाक रजिस्टर के भाग-1 में निरीक्षण की तिथि व समय तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम व पदनाम का उल्लेख अवश्य किया जाय।

iii स्टाक रजिस्टरके भाग-2 में अंकित प्रविष्टियों का एफ0एल0-36 पास से मिलान किया जाये।

iv स्टाक रजिस्टर के भाग-3 की प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

v स्टाक रजिस्टर के भाग-4 में प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

6. स्टाक का सत्यापन-

बियर	**धारिताएवं तीव्रतावार**					
	5%v/v			**8%v/v**		
	650ml	**500ml**	**300ml**	**650ml**	**500ml**	**300**
01 अप्रैल को प्रारम्भिक अवशेष						
01 अप्रैल से निरीक्षण तिथि तक प्राप्ति						
योग-						
01 अप्रैल से निरीक्षण तिथि तक बिक्री						

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखानुसार अवशेष स्टाक						
वास्तविक अवशेष स्टाक						
व्यतिक्रम-						

व्यतिक्रम/अन्तर के सम्बन्ध में टिप्पणी

7. ब्राण्डवार स्टाक का सत्यापन।

8. एफएल 36 पासेज-

(a)एफएल 36 पास पर निकासी की तिथि व समय के अंकन की स्थिति।

(b) निकासी के रूट के अंकन की स्थिति

(c)निकासी ले जाने के लिए फुटकर अनुज्ञापी को प्रदान किये गये वैधता का समय।

(d)एफएल 36 पास पर अंकित वाहन का प्रकार व रजिस्ट्रेशन नम्बर के उल्लेख की स्थिति।

(e) एफएल 36 पास पर होलोग्राम क्रमांक की रेंज व बैच नम्बर क्रमांक के अंकन की स्थिति

9. आसवनी से निर्गत एफएल 36 पास पर अंकित होलोग्राम का बोतलों पर चस्पा होलोग्राम से मिलान किया जाना।

10. एफएल-2बी से निर्गत किये जाने वाले परिवहन पासों के रख-रखाव की स्थिति।

11. एफएल-2बी थोक अनुज्ञापन पर बियर के स्टाक की उपलब्धता की स्थिति।

12. अनुज्ञापन परिसर के बाहर नियमानुसार साइनबोर्ड लगे होने की स्थिति।

13. थोक अनुज्ञापन पर कम्प्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

14. इस माह कितना नकद भुगतान प्राप्त हुआ है? क्या डिजिटल भुगतान की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सुविधा है?

15. अनुज्ञापन परिसर में साफ-सफाई की स्थिति।

16. निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमिताताओं का संक्षिप्त विवरण।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विदेशी मदिरा थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0-2) के निरीक्षण की चेकलिस्ट

जनपद का नाम-

अनुज्ञापी का नाम व पता-

अनुज्ञापी का पैन नंबर-

1. निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये गतनिरीक्षण का विवरण-

   (a) अधिकारी का नाम/पदनाम-

   (b) निरीक्षण की तिथि व समय-

2. अनुज्ञापन का निरीक्षण-

   (a) वैध अनुज्ञापन प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

   (b) अनुज्ञापन के जारी होने की तिथि

3. विक्रेता अनुमोदित है या नहीं-

   (a) विक्रेता का नाम, पता व फोटो अनुज्ञापन पर अंकित होने की स्थिति।

4. अनुज्ञापन की चौहद्दी अनुमोदित है या नहीं-

   (a) परिसर की चौहद्दी अनुज्ञापन पर अंकित होना।

   (b) निरीक्षण के समय पायी गयी चौहद्दी का निरीक्षण टीप में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना।

   (c) अनुज्ञापन पक्के भवन में संचालित है अथवा नहीं?

   (d) यदि अनुज्ञापन पक्के भवन में हीं है तो कहां पर चल रही है?

5. अभिलेखों का सत्यापन-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(a)प्राप्ति रजिस्टर

(b) इण्डेण्ट रजिस्टर

(c) दैनिक बिक्री का रजिस्टर

(d) ब्राण्डवार रजिस्टर

(e) स्टाक रजिस्टर

i स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

ii स्टाक रजिस्टर के भाग-1 में निरीक्षण की तिथि व समय तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम व पदनाम का उल्लेख अवश्य किया जाय।

iii स्टाक रजिस्टरके भाग-2 में अंकित प्रविष्टियों का एफ0एल0-36 पास से मिलान किया जाये।

iv स्टाक रजिस्टर के भाग-3 की प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

v स्टाक रजिस्टर के भाग-4 में प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

6. स्टाक का सत्यापन-

विदेशी मदिरा	**धारिताएवं तीव्रतावार**				
	1000ml	**750ml**	**375ml**	**180ml**	**90ml**
01 अप्रैल को प्रारम्भिक अवशेष					
01 अप्रैल से निरीक्षण तिथि तक प्राप्ति					
योग-					
01 अप्रैल से निरीक्षण तिथि तक बिक्री					

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखानुसार अवशेष स्टाक					
वास्तविक अवशेष स्टाक					
व्यतिक्रम-					

व्यतिक्रम/अन्तर के सम्बन्ध में टिप्पणी

7. ब्राण्डवार स्टाक का सत्यापन।

8. एफएल 36 पासेज-

(a) एफएल 36 पास पर निकासी की तिथि व समय के अंकन की स्थिति।

(b) निकासी के रूट के अंकन की स्थिति

(c) निकासी ले जाने के लिए फुटकर अनुज्ञापी को प्रदान किये गये वैधता का समय।

(d) एफएल 36 पास पर अंकित वाहन का प्रकार व रजिस्ट्रेशन नम्बर के उल्लेख की स्थिति।

(e) एफएल 36 पास पर होलोग्राम क्रमांक की रेंज व बैच नम्बर क्रमांक के अंकन की स्थिति

9. आसवनी से निर्गत एफएल 36 पास पर अंकित होलोग्राम का बोतलों पर चस्पा होलोग्राम से मिलान किया जाना।

10. एफएल-2 से निर्गत किये जाने वाले परिवहन पासों के रख-रखाव की स्थिति।

11. एफएल-2 थोक अनुज्ञापन पर देशी शराब के स्टाक की उपलब्धता की स्थिति।

12. अनुज्ञापन परिसर के बाहर नियमानुसार साइनबोर्ड लगे होने की स्थिति।

13. थोक अनुज्ञापन पर कम्प्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

14. इस माह कितना नकद भुगतान प्राप्त हुआ है? क्या डिजिटल भुगतान की सुनिधा है?

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15. अनुज्ञापन परिसर में साफ-सफाई की स्थिति।

16. निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमिताताओं का संक्षिप्त विवरण।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान (एफ0एल0-5) के निरीक्षण की चेकलिस्ट

दुकान का नाम- जनपद का नाम-

अनुज्ञापी का नाम व पता-

अनुज्ञापी का पैन नंबर-

अनुज्ञापी का मोबाइल नंबर-

1. निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये गत निरीक्षण का विवरण

   (a) अधिकारी का नाम/पदनाम-

   (b) निरीक्षण की तिथि व समय-

2. अनुज्ञापन का निरीक्षण-

   (a) वैध अनुज्ञापन प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

   (b) अनुज्ञापन के जारी होने की तिथि-

3. फुटकर विक्रेता व फोटो अनुमोदित है या नहीं-

   (a) विक्रेता का नाम, पता व फोटो अनुज्ञापन पर अंकित होने की स्थिति। विक्रेता का आपराधिक इतिहास तो नहीं रहा है?

   (b) महिला विक्रय तो नहीं कर रही है।

4. फुटकर दुकान की चौहद्दी अनुमोदित है या नहीं-

   (a) दुकान की चौहद्दी अनुज्ञापन पर अंकित होना।

   (b) निरीक्षण के समय पायी गयी चौहद्दी का निरीक्षण टीप में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना।

   (c) दुकान पक्के भवन में संचालित है अथवा नहीं?

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(d) यदि दुकान पक्के भवन में नहीं है तो कहां पर चल रही है?

5. स्टाक रजिस्टर का निरीक्षण-

(a) स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

(b) स्टाक रजिस्टर के भाग-1 में निरीक्षण की तिथि व समय तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम व पदनाम का उल्लेख अवश्य किया जाय।

(c) स्टाक रजिस्टर के भाग-2 में अंकित प्रविष्टियों का एफ0एल0-36 पास से मिलान किया जाये।

(d) स्टाक रजिस्टर के भाग-3 की प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

(e) स्टाक रजिस्टर के भाग-4 में प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

6. स्टाक का सत्यापन (धारितावार)-

विदेशी मदिरा		धारिता			
		750ml	350ml	180ml	90r
(a)	लेखानुसार स्टाक-				
(b)	वास्तविक स्टाक-				
(c)	व्यतिक्रम-				

व्यतिक्रम/अन्तर के सम्बन्ध में टिप्पणी

7. एफएल 36 पास पर अंकित होलोग्राम का बोतलों पर चस्पा होलोग्राम से मिलान किया जाना।

8. थोक दुकान से मदिरा क्रय करने हेतु भुगतान की स्थिति –RTGS, ड्राफ्ट अथवा

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नकद के रूप में जमा अग्रिम धनराशि।

9. एफएल 36 पासों के रख-रखाव की स्थिति।

10. अधिकतम फुटकर मूल्य (एम0आर0पी0) पर मदिरा की बिक्री की जा रही है अथवा नहीं।

11. मदिरा की दुकान पर प्रचलित ब्राण्डों की उपलब्धता की स्थिति।

12. दुकान के बाहर मदिरा की रेट लिस्ट लगी होने की स्थिति।

13. मदिरा की दुकान के बाहर नियमानुसार साइनबोर्ड लगे होने की स्थिति। बोर्ड पर निम्नलिखित सूचनाएं अंकित हैं अथवा नहीं-

(a)दुकान पर अथवा सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना मना है।

(b)21 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

14. मदिरा की दुकान के अन्दर की साफ-सफाई की स्थिति।

15. निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् बिक्री तो नहीं की जा रही है?

16. यह अनुज्ञापन कभी निलम्बित अथवा निरस्त किया गया है?

17. विदेशी मदिरा को कब्जे में रखने की सीमा से अधिक मात्रा में एक व्यक्ति को बिक्री तो नहीं की जा रही है?

18. किसी वर्दीधारी को बिक्री तो नहीं की जा रही है?

19. अनुज्ञापन परिसर में द्यूत क्रीड़ा या जुआ के आयोजन द्वारा ग्राहकों को प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा है?

20. अनुज्ञापन शिकमी तौर पर किसी अन्य द्वारा संचालित तो नहीं किया जा रहा है?

21. शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है या नहीं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

22. कोई अन्य मादक पदार्थ/देशी मदिरा/अपमिश्रण हेतु सामग्री उपलब्ध तो नहीं है?

23. उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली-1968 (यथासंशोधित) के नियम-5 (4) में प्राविधान है कि-

"किसी सार्वजनिक पूजा स्थल अथवा विद्यालय अथवा चिकित्सालय अथवा आवासीय कालोनी के नगर निगम मे होने के मामलें में 50(पचास) मीटर की दूरी के भीतर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में होने के मामलें में 75(पचहत्तर) मीटर की दूरी के भीतर व प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में होने के मामलें में 100(एक सौ) मीटर की दूरी के भीतर दुकान या उप दुकान को लाइसेंस नहीं दिया जायेगा।

परन्तु यदि कोई सार्वजनिक पूजा स्थल, विद्यालय, चिकित्सालय, आवासीय कालोनी, दुकान या उप दुकान की स्थापना के उपरान्त अस्तित्व में आती है, तो उस नियम के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

परन्तु यह और कि विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा "वाणिज्यिक" या औद्योगिक के रूप में अभिहित क्षेत्रों में दूरी का यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।"

सार्वजनिक पूजा स्थल, विद्यालय, चिकित्सालय व आवासीय कालोनी का तात्पर्य इसी नियम के उप नियम में वर्णित है।

निरीक्षित दुकान की चौहद्दी उपरोक्त प्राविधान के अनुरूप है अथवा नहीं?

24. निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

देशी मदिरा की फुटकर दुकान (सी0एल0-5) के निरीक्षण की चेकलिस्ट

दुकान का नाम- जनपद का नाम-

अनुज्ञापी का नाम व पता-

अनुज्ञापी का पैन नंबर-

अनुज्ञापी का मोबाइल नंबर-

अनुज्ञापी का आधार नंबर-

दुकान का वार्षिक एम.जी.क्यू. (न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा)-

18. निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये गतनिरीक्षण का विवरण-

(a) अधिकारी का नाम/पदनाम-

(b) निरीक्षण की तिथि व समय-

19. अनुज्ञापन का निरीक्षण-

(a) वैध अनुज्ञापन प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

(b) अनुज्ञापन के जारी होने की तिथि-

20. फुटकर विक्रेता व फोटो अनुमोदित है या नहीं-

(a) विक्रेता का नाम, पता व फोटो अनुज्ञापन पर अंकित होने की स्थिति।

(b) महिला विक्रय तो नहीं कर रही है।

21. दुकान की चौहद्दी अनुमोदित है या नहीं-

(a) दुकान की चौहद्दी अनुज्ञापन पर अंकित होना।

(b) निरीक्षण के समय पायी गयी चौहद्दी का निरीक्षण टीप में अनिवार्य रूप से

http://shasanadesh.up.nic.in

उल्लेख किया जाना।

(c) दुकान पक्के भवन में संचालित है अथवा नहीं?

(d) यदि दुकान पक्के भवन में नहीं है तो कहां पर चल रही है?

22. स्टाक रजिस्टर का निरीक्षण-

(a) स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत का गया अथवा नहीं?

(b) स्टाक रजिस्टर के भाग-1 में निरीक्षण की तिथि व समय तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम व पदनाम का उल्लेख अवश्य किया जाय।

(c) स्टाक रजिस्टर के भाग-2 में अंकित प्रविष्टियों का निकासी पासबुक में अंकित प्रविष्टियों से मिलान किया जाये।

(d) स्टाक रजिस्टर के भाग-3 की प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

(e) स्टाक रजिस्टर के भाग-4 में प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

23. स्टाक का सत्यापन (धारितावार)—42.8 प्रतिशत वी/वी, 36 प्रतिशत वी/वी, 28 प्रतिशत वी/वी एवं 25 प्रतिशत वी/वी प्रत्येक तीव्रता का स्टाक-

	देशी मदिरा	धारिता		
		200 एम0एल0	180 एम0एल0	अन्य धा
(a)	लेखानुसार स्टाक-			
(b)	वास्तविक स्टाक-			
(c)	व्यतिक्रम-			

व्यतिक्रम/अन्तर के सम्बन्ध में टिप्पणी

24. निकासी पासबुक/परिवहन पास में अंकित होलोग्राम क्रमांक का शीशियों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पर चस्पा होलोग्राम के क्रमांक से मिलान किया जाये।

25. थोक दुकान से मदिरा क्रय करने हेतु भुगतान की स्थिति –RTGS, ड्राफ्ट अथवा नकद के रूप में जमा अग्रिम धनराशि।

26. निकासी पासबुक के रख-रखाव की स्थिति।

27. अधिकतम फुटकर मूल्य (एम0आर0पी0) पर मदिरा की बिक्री की जा रही है अथवा नहीं।

28. एम0जी0क्यू0 (न्यूनतम् प्रत्याभूत मात्र) के सापेक्ष उठान की स्थिति।

29. दुकान के बाहर मदिरा की रेट लिस्ट लगी होने की स्थिति।

30. मदिरा की दुकान के बाहर नियमानुसार साइनबोर्ड लगे होने की स्थिति। बोर्ड पर निम्नलिखित सूचनाएं अंकित हैं अथवा नहीं-

(a) दुकान पर अथवा सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना मना है।

(b) 21 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

31. मदिरा की दुकान के अन्दर/परिसर की साफ-सफाई की स्थिति? नाली एवं कूड़ेदान की व्यवस्था है अथवा नहीं?

32. निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् बिक्री तो नहीं की जा रही है?

33. यह अनुज्ञापन कभी निलम्बित अथवा निरस्त किया गया है?

34. देशी मदिरा को कब्जे में रखने की सीमा (प्रत्येक तीव्रता की देशी मदिरा 1.5 ली0) से अधिक मात्रा में एक व्यक्ति को विक्री तो नहीं की जा रही है?

35. किसी वर्दीधारी को बिक्री तो नहीं की जा रही है?

36. अनुज्ञापन परिसर में द्यूत क्रीड़ा या जुआ के आयोजन द्वारा ग्राहकों को प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा है?

37. अनुज्ञापन शिकमी तौर पर किसी अन्य द्वारा संचालित तो नहीं किया जा रहा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

है?

38. उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली-1968 (यथासंशोधित) के नियम-5 (4) में प्राविधान है कि-

"किसी सार्वजनिक पूजा स्थल अथवा विद्यालय अथवा चिकित्सालय अथवा आवासीय कालोनी के नगर निगम में होने के मामलें में 50(पचास) मीटर की दूरी के भीतर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में होने के मामलें में 75(पचहत्तर) मीटर की दूरी के भीतर व प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में होने के मामलें 100(एक सौ) मीटर की दूरी के भीतर दुकान या उप दुकान को लाइसेंस नहीं दिया जायेगा।

परन्तु यदि कोई सार्वजनिक पूजा स्थल, विद्यालय, चिकित्सालय, आवासीय कालोनी, दुकान या उप दुकान की स्थापना के उपरान्त अस्तित्व में आती है, तो उस नियम के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

परन्तु यह और कि विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा "वाणिज्यिक" या औद्योगिक के रूप में अभिहित क्षेत्रों में दूरी का यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।"

सार्वजनिक पूजा स्थल, विद्यालय, चिकित्सालय व आवासीय कालोनी का तात्पर्य इसी नियम के उप नियम में वर्णित है।

निरीक्षित दुकान की चौहद्दी उपरोक्त प्राविधान के अनुरूप है अथवा नहीं?

39. शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है या नहीं?

40. कोई अन्य मादक पदार्थ/विदेशी मदिरा/अपमिश्रण हेतु सामग्री उपलब्ध तो नहीं है?

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-29 ई-1/तेरह-2018, दिनॉक 08 जनवरी, 2018 का (संलग्नक-8)

बियर की फुटकर दुकान (एफ0एल0-5बी) के निरीक्षण की चेकलिस्ट

दुकान का नाम- जनपद का नाम-

अनुज्ञापी का नाम व पता-

अनुज्ञापी का पैन नंबर-

अनुज्ञापी का मोबाइल नंबर-

अनुज्ञापी का आधार नंबर-

1. निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये गतनिरीक्षण का विवरण-

   (a) अधिकारी का नाम/पदनाम-

   (b) निरीक्षण की तिथि व समय-

2. अनुज्ञापन का निरीक्षण-

   (a) वैध अनुज्ञापन प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

   (b) अनुज्ञापन के जारी होने की तिथि

3. फुटकर विक्रेता व फोटो अनुमोदित है या नहीं-

   (a) विक्रेता का नाम, पता व फोटो अनुज्ञापन पर अंकित होने की स्थिति। विक्रेता का आपराधिक इतिहास तो नहीं रहा है?

   (b) महिला विक्रय तो नहीं कर रही है।

4. फुटकर दुकान की चौहद्दी अनुमोदित है या नहीं-

   (a) दुकान की चौहद्दी अनुज्ञापन पर अंकित होना।

   (b) निरीक्षण के समय पायी गयी चौहद्दी का निरीक्षण टीप में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(c) दुकान पक्के भवन में संचालित है अथवा नहीं?

(d) यदि दुकान पक्के भवन में नहीं है तो कहां पर चल रही है?

5. स्टाक रजिस्टर का निरीक्षण-

(a) स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

(b) स्टाक रजिस्टर के भाग-1 में निरीक्षण की तिथि व समय तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम व पदनाम का उल्लेख अवश्य किया जाय।

(c) स्टाक रजिस्टर के भाग-2 में अंकित प्रविष्टियों का एफ0एल0-36 पास से मिलान किया जाये।

(d) स्टाक रजिस्टर के भाग-3 की प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

(e) स्टाक रजिस्टर के भाग-4 में प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

6. स्टाक का सत्यापन (धारितावार)-

	तीव्रता धारिता	5%v/v			8%v/v		
		650ml	500ml	300ml	650ml	500ml	
(a)	लेखानुसार स्टाक-						
(b)	वास्तविक स्टाक-						
(c)	व्यतिक्रम-						

व्यतिक्रम/अन्तर के सम्बन्ध में टिप्पणी

7. ब्राण्डवार स्टाक का सत्यापन।

8. थोक दुकान से मदिरा क्रय करने हेतु भुगतान की स्थिति –RTGS, ड्राफ्ट अथवा नकद के रूप में जमा अग्रिम धनराशि।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9. एफएल 36 पास पर अंकित होलोग्राम का बोतलों पर चस्पा होलोग्राम से मिलान किया जाना।

10. एफएल 36 पासों के रख-रखाव की स्थिति।

11. अधिकतम फुटकर मूल्य (एम0आर0पी0) पर मदिरा की बिक्री की जा रही है अथवा नहीं।

12. बियर की दुकान पर प्रचलित ब्राण्डों की उपलब्धता की स्थिति।

13. दुकान के बाहर मदिरा की रेट लिस्ट लगी होने की स्थिति।

14. मदिरा की दुकान के बाहर नियमानुसार साइनबोर्ड लगे होने की स्थिति। बोर्ड पर निम्नलिखित सूचनाएं अंकित हैं अथवा नहीं-

(a) दुकान पर अथवा सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना मना है।

(b) 21 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

15. बियर की दुकान के अन्दर की साफ-सफाई की स्थिति।

16. निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् बिक्री तो नहीं की जा रही है?

17. यह अनुज्ञापन कभी निलम्बित अथवा निरस्त किया गया है?

18. बियर को कब्जे में रखने की सीमा से अधिक मात्रा में एक व्यक्ति को बिक्री तो नहीं की जा रही है?

19. किसी वर्दीधारी को बिक्री तो नहीं की जा रही है?

20. अनुज्ञापन परिसर में द्यूत क्रीड़ा या जुआ के आयोजन द्वारा ग्राहकों को प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा है?

21. अनुज्ञापन शिकमी तौर पर किसी अन्य द्वारा संचालित तो नहीं किया जा रहा है?

22. शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है या नहीं।

23. कोई अन्य मादक पदार्थ/देशी मदिरा/अपमिश्रण हेतु सामग्री उपलब्ध तो नहीं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

है?

24. उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली-1968 (यथासंशोधित) के नियम-5 (4) में प्राविधान है कि-

"किसी सार्वजनिक पूजा स्थल अथवा विद्यालय अथवा चिकित्सालय अथवा आवासीय कालोनी के नगर निगम में होने के मामलें में 50(पचास) मीटर की दूरी के भीतर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में होने के मामलें में 75(पचहत्तर) मीटर की दूरी के भीतर व प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में होने के मामलें में 100(एक सौ) मीटर की दूरी के भीतर दुकान या उप दुकान को लाइसेंस नहीं दिया जायेगा।

परन्तु यदि कोई सार्वजनिक पूजा स्थल, विद्यालय, चिकित्सालय, आवासीय कालोनी, दुकान या उप दुकान की स्थापना के उपरान्त अस्तित्व में आती है, तो उस नियम के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

परन्तु यह और कि विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा "वाणिज्यिक" या औद्योगिक के रूप में अभिहित क्षेत्रों में दूरी का यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।"

सार्वजनिक पूजा स्थल, विद्यालय, चिकित्सालय व आवासीय कालोनी का तात्पर्य इसी नियम के उप नियम में वर्णित है।

निरीक्षित दुकान की चौहद्दी उपरोक्त प्राविधान के अनुरूप है अथवा नहीं?

25. निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

माडल शाप (एफ0एल0-4ए) के निरीक्षण की चेकलिस्ट

दुकान का नाम- जनपद का नाम-

अनुज्ञापी का नाम व पता-

अनुज्ञापी का पैन नंबर-

अनुज्ञापी का मोबाइल नंबर-

अनुज्ञापी का आधार नंबर-

1. निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये गतनिरीक्षण का विवरण-

   (a) अधिकारी का नाम/पदनाम-

   (b) निरीक्षण की तिथि व समय-

2. अनुज्ञापन का निरीक्षण-

   (a) वैध अनुज्ञापन प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

   (b) अनुज्ञापन के जारी होने की तिथि

3. माडल शाप विक्रेता व फोटो अनुमोदित है या नहीं-

   (a) विक्रेता का नाम, पता व फोटो अनुज्ञापन पर अंकित होने की स्थिति। विक्रेता का आपराधिक इतिहास तो नहीं रहा है?

4. माडल शाप की चौहद्दी अनुमोदित है या नहीं-

   (a) माडल शाप की चौहद्दी अनुज्ञापन पर अंकित होना।

   (b) निरीक्षण के समय पायी गयी चौहद्दी का निरीक्षण टीप में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना।

   (c) माडल शाप पक्के भवन में संचालित है अथवा नहीं?

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(d) यदि माडल शाप पक्के भवन में नहीं है तो कहां पर चल रही है?

5. स्टाक रजिस्टर का निरीक्षण-

(a) स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

(b) स्टाक रजिस्टर के भाग-1 में निरीक्षण की तिथि व समय तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम व पदनाम का उल्लेख अवश्य किया जाय।

(c) स्टाक रजिस्टर के भाग-2 में अंकित प्रविष्टियों का एफ0एल0-36 पास से मिलान किया जाये।

(d) स्टाक रजिस्टर के भाग-3 की प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

(e) स्टाक रजिस्टर के भाग-4 में प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

6. (अ) स्टाक का सत्यापन (धारितावार)-

विदेशी मदिरा		धारिता			
		750ml	350ml	180ml	9
(a)	लेखानुसार स्टाक-				
(b)	वास्तविक स्टाक-				
(c)	व्यतिक्रम-				

(ब) स्टाक का सत्यापन (धारितावार)-

तीव्रता धारिता		5%v/v			8%v/v		
		650ml	500ml	300ml	650ml	500ml	
(a)	लेखानुसार स्टाक-						
(b)	वास्तविक स्टाक-						

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(c)	व्यतिक्रम-						

व्यतिक्रम/अन्तर के सम्बन्ध में टिप्पणी

7. एफएल 36 पास पर अंकित होलोग्राम का बोतलों पर चस्पा होलोग्राम से मिलान किया जाना।

8. एफएल 36 पासों के रख-रखाव की स्थिति।

9. अधिकतम फुटकर मूल्य (एम0आर0पी0) पर मदिरा की बिक्री की जा रही है अथवा नहीं।

10. माडल शाप की दुकान पर प्रचलित ब्राण्डों की उपलब्धता की स्थिति।

11. माडल शाप के बाहर मदिरा की रेट लिस्ट लगी होने की स्थिति।

12. माडल शाप के बाहर नियमानुसार साइनबोर्ड लगे होने की स्थिति। बोर्ड पर निम्नलिखित सूचनाएं अंकित हैं अथवा नहीं-

(a) माडल शाप पर अथवा सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना मना है।

(b) 21 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी।

13. माडल शाप के अन्दर की साफ-सफाई की स्थिति।

14. निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् बिक्री तो नहीं की जा रही है?

15. यह अनुज्ञापन कभी निलम्बित अथवा निरस्त किया गया है?

16. माडल शाप को कब्जे में रखने की सीमा से अधिक मात्रा में एक व्यक्ति को बिक्री तो नहीं की जा रही है?

17. किसी वर्दीधारी को बिक्री तो नहीं की जा रही है?

18. अनुज्ञापन परिसर में द्यूत क्रीड़ा या जुआ के आयोजन द्वारा ग्राहकों को प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा है?

19. अनुज्ञापन शिकमी तौर पर किसी अन्य द्वारा संचालित तो नहीं किया जा रहा है?

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

20. उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली-1968 (यथासंषोधित) के नियम-5 (4) में प्राविधान है कि-

"किसी सार्वजनिक पूजा स्थल अथवा विद्यालय अथवा चिकित्सालय अथवा आवासीय कालोनी के नगर निगम में होने के मामलें में 50(पचास) मीटर की दूरी के भीतर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में होने के मामलें में 75(पचहत्तर) मीटर की दूरी के भीतर व प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में होने के मामलें में 100(एक सौ) मीटर की दूरी के भीतर दुकान या उप दुकान को लाइसेंस नहीं दिया जायेगा।

परन्तु यदि कोई सार्वजनिक पूजा स्थल, विद्यालय, चिकित्सालय, आवासीय कालोनी, दुकान या उप दुकान की स्थापना के उपरान्त अस्तित्व में आती है, तो उस नियम के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

परन्तु यह और कि विकास प्राधिकारण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा "वाणिज्यिक" या औद्योगिक के रूप में अभिहित क्षेत्रों में दूरी का यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।"

सार्वजनिक पूजा स्थल, विद्यालय, चिकित्सालय व आवासिक कालोनी का तात्पर्य इसी नियम के उप नियम में वर्णित है।

निरीक्षित दुकान की चौहद्दी उपरोक्त प्राविधान के अनुरूप है अथवा नहीं?

21. निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भांग की फुटकर दुकान (आई.डी. 14बी) के निरीक्षण की चेक लिस्ट

दुकान का नाम- जनपद का नाम-

निरीक्षण का दिनांक-

अनुज्ञापी का नाम व पता-

अनुज्ञापी का पैन नंबर-

अनुज्ञापी का मोबाइल नंबर-

अनुज्ञापी का आधार नंबर-

दुकान का वार्षिक एम.जी.क्यू. (न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा) (कि0ग्रा0 में)-

41. निरीक्षण हेतु अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये गतनिरीक्षण का विवरण-

(a) अधिकारी का नाम/पदनाम-

(b) निरीक्षण की तिथि व समय-

42. अनुज्ञापन का निरीक्षण-

(a) वैध अनुज्ञापन प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

(b) अनुज्ञापन के जारी होने की तिथि-

43. फुटकर विक्रेता व फोटो अनुमोदित है या नहीं-

(a) विक्रेता का नाम, पता व फोटो अनुज्ञापन पर अंकित होने की स्थिति।

(b) महिला विक्रय तो नहीं कर रही है।

44. दुकान की चौहद्दी अनुमोदित है या नहीं-

(a) दुकान की चौहद्दी अनुज्ञापन पर अंकित होना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(b) निरीक्षण के समय पायी गयी चौहद्दी का निरीक्षण टीप में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना।

(c) दुकान पक्के भवन में संचालित है अथवा नहीं?

(d) यदि दुकान पक्के भवन में संचालित नहीं है तो कहां पर चल रही है?

45. स्टाक रजिस्टर का निरीक्षण-

(a) स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं?

(b) स्टाक रजिस्टर के भाग-1 में निरीक्षण की तिथि व समय तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी के नाम व पदनाम का उल्लेख अवश्य किया जाय।

(c) स्टाक रजिस्टर के भाग-2 में अंकित प्रविष्टियों का परिवहन पास से मिलान किया जाय। अंकित प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

(d) स्टाक रजिस्टर के भाग-3 की प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

(e) स्टाक रजिस्टर के भाग-4 में प्रविष्टियों के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने की स्थिति।

46. स्टाक का सत्यापनः-

	विवरण	**सूखी भांग (कि0ग्रा0)**	**घोटा भांग (कि0ग्रा**
(a)	लेखानुसार स्टाक-		
(b)	वास्तविक स्टाक-		
(c)	व्यतिक्रम-		

व्यतिक्रम/अन्तर के सम्बन्ध में टिप्पणी-

47. बांट व तुला का रख-रखाव-

(क) अनुज्ञापी अपने पास निर्धारित सही बांट व तुला रखा है अथवा नहीं।

(ख) बांट माप विभाग से नियमानुसार बांटो का सत्यापन कराया गया है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अथवा नहीं।

48. दुकान पर बंद पुड़िया मोहर बंद है अथवा नहीं?

49. दुकान परिसर में अनाधिकृत रूप से कोई भांग का उपभोग तो नहीं कर रहा है।

50. दुकान पर संरक्षित पुड़िया 120 ग्राम से अधिक वजन की नहीं है?

51. दुकान में संचित भांग का स्टाक यदि निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपभोग योग्य नहीं लग रहा है तो उस भांग की मात्रा को अनुज्ञापी द्वारा तुरन्त विनष्ट करने हेतु समर्पित किया गया अथवा नहीं?.

52. दुकान परिसर में कोई जहरीली वस्तु तो नहीं रखी गई है?

53. दुकान से 18 वर्ष के कम आयु के क्रेता/व्यक्तियों को तो भांग नहीं बेची जा रही है।

54. भांग की दुकान के बाहर नियमानुसार साइन बोर्ड लगे होने की स्थितिः-

(a) अनुज्ञापी का नाम

(b) स्थान का नाम

(c) अनुज्ञापन वर्ष अंकित है अथवा नहीं।

55. क्या अनुज्ञापन कभी निलम्बित अथवा निरस्त किया गया है अथवा नहीं?

56. बिक्री के लिए निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात् बिक्री तो नहीं की जा रही है?

57. अनुज्ञापन परिसर में द्यूत क्रीड़ा या जुआ के आयोजन द्वारा ग्राहकों को प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा है?

58. अनुज्ञापन शिकमी तौर पर किसी अन्य द्वारा संचालित तो नहीं किया जा रहा है?

59. अनुज्ञापित परिसर में अनुज्ञापी द्वारा केवल भांग का ही स्टाक रख गया है। अथवा अन्य किसी पदार्थ का स्टाक तो नहीं रखा है?

60. संचित भांग स्टाक में अनुज्ञापी द्वारा किसी प्रकार का अपमिश्रण अथवा इसके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गुण अथवा तौल में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए कोई प्रयास/कार्य तो नहीं किया गया है?

61. दुकान के अंदर साफ-सफाई की स्थिति?

62. शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है या नहीं?

63. अनुज्ञापी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञापित परिसर में किसी भी कार्य के लिए जो संक्रामक रोग/छुआछूत रोग से ग्रसित है, को सेवायोजित तो नहीं किया गया है?

64. निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितिताओं का संक्षिप्त विवरणः-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।